भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

File No. Estt.I/(303)/ROC/2017/392 Dated : 23.02.2026

VACANCY CIRCULAR

1. It is proposed to fill up the post listed in **Annexure-I** in the Regional Office of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change at Lucknow from amongst official of Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institution or Universities or statutory or autonomous organization on deputation. The details of eligibility condition for the post to be filled up on the deputation basis and the Performa for the application can be seen at **Annexure-II** and **Annexure-II** of the vacancy circular in the website of the MoEF&CC, Govt. of India at www.moef.nic.in or can also be obtained directly from the Regional office, MoEF&CC, Lucknow.

2. The terms and conditions of the candidates selected for appointment on deputation basis will be governed as per the conditions laid down in the Government of India, Department of Personnel &Training's OM No. 6/8/2009- Estt., dated 17.6.2010 , as amended from time to time.

3. The period of deputation will be initially for three years and is likely to be extended further up to five years as per the guidelines of DOP &T. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Office/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed Four (4) years for the post of Principal Private Secretary to DDGF and Three (03) year for the post of Junior Hindi Translator . The maximum age limit for appointment of deputation shall not exceed 56 (Fifty six) years as on the closing date prescribed for receipt of application.

4. Application of officials who are eligible and are willing to be considered for appointment on deputation basis and who can be relieved immediately after selecting may be forwarded through proper channel along with copies of be their ACRs/APARs/ for the preceding five (05) years and Vigilance Clearance Certificate so as to reach the office of the DDGI, Ministry of Environment, Forest and Climate change, Regional Office, 11th floor Hall No. o1 kendariya bhawan, sector H Aliganj lucknow 226024.

5. The receipt of complete application form in the prescribed format for deputation post should reach this office on or before completion of 45 (Forty Five) days from the date of publication of vacancy. Application received without the recommendation of the parent Office/Department or incomplete application or application received after the prescribed date or without ACR/APR/dossiers/Vigilance Clearance will not be considered.

(Dr. R.B. Lal)
Scientist-F/Head of Office

Copy to:-

1. The Additional Director General (ROHQ), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, India Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi-110003.
2. The Under Secretary to the Government of India, Bhawan, JorBagh Road, New Delhi-110003.
3. Senior Technical Director, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, 1st Floor, Agni wing, India Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110003 with request to place the advertisement invited for the Ministry's website www.moef.nic.in with the caption "Application invited for the post of Principal Private Secretary to DDGF and Junior Translator in Regional Office, MoEF&CC, Lucknow on Deputation basis under intimation to this office.
4. All Integrated Regional offices of MoEF&CC, Government of India.

(Dr. R.B. Lal)
Scientist-F/Head of Office

ANNEXURE-1

S.No.	Name of the Post	Level in the Pay Matrix	Pay Level	No. of Post
1.	Principal Private Secretary to APCCF	67700-208700	11	01
2.	Junior Hindi Translator	35400-112400	6	01

ANNEXURE-2

Name of Post	Classification	Pay Band	Eligibility Conditions
Principal Private Secretary To APCCF	General Central Service Group-'A' Gazetted Ministerial	Level-11 (Rs. 67700-208700)	As per Recruitment Rules(enclosed as Annexure IV)
Junior Translator	General Central Service Group-B non-Gazetted non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400)	As per Recruitment Rules (enclosed as Annexure VI

(Dr. R.B. Lal)
Scientist-F/Head of Office

PROFORMA OF APPLICATION FROM FOR THE POST OF PRINCIPAL PRIVATE SECRETARY TO DDGF AND JUNIOR HINDI TRANSLATOR.

Application for the post of ..... at (place).....

1.	Name and Address (in block letters)		
2.	Date of Birth (in Christian era)		
3.	Date of retirement under Central/State Government Rules		
4.	Educational Qualification		
5.	Whether educational and other qualification required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same) Essential Desirable	Qualification/Experience Required (1) (2) (3) (1) (2)	Qualifications/Experience Required possessed by the Officer
6.	Please state clearly whether in the light of entries made by the above, your meet the requirement of the post.		
7.	Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.		

Office/Institution/Organization	Post Held	From	To	Pay structure		Nature of duties (in detail)
				Pay in the Pay Band	Grade Pay	

8.	Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi Permanent or Permanent	
9.	In case the present employment is held on deputation contract basis please state:- A) The date of initial appointment B) Period of appointment on deputation/contract C) Name of the parent office/organization to which you belong	
10.	Date of return from the last ex-cadre post, if any.	
11.	Additional details about present employment. Please state whether working under	

	(indicate the name of your employer against the relevant column (a)Central Government (b)State Government (c) Autonomous Organization (d)Government Undertaking (e)Universities/Institute (f)others	
12.	Please state whether you are working in the same department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade	
13.	Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.	
14.	Total emoluments per month now drawn	
15.	Additional information, if any, which you suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i)additional academic qualification (ii)professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the vacany circular/Advertisement (Note: enclose a separate sheet, if the space is insufficient)	
16.	Whether belongs to SC/ST	
17.	Remarks	

Ihave carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am aware that the curriculum vitae duty supported by document submitted by me will also assessed by the selection committee at the time of selection for the post.

Signature of Candidates

Address.....

Date.....

Telephone no.....

Mobile No.....

Email Address.....

Signature of Employer.....

Name and Department with Office Seal

Phone No.....

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : rocz.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

File No. Estt.I/(303)/ROC/2017 Dated : 23.02.2026

रिक्ति परिपत्र

1 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में अनुलग्नक–में सूचीबद्ध पदो को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों या वैधानिक या स्वायत संगठन के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे भरने का प्रस्ताव है। प्रतिनियुक्ति पर भरें जाने वाले पदों के लिए पात्रता शर्तों का विवरण और आवेदन के लिए प्रोफार्मा पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.nic.in में रिक्ति परिपत्र के **अनुलग्नक–II** में देखा जा सकता है अथवा सीधे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ से भी प्राप्त किया जा सकता है।

2 प्रतिनियुक्ति की शर्तें समय –समय पर संशोधित भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की संख्या 6/8/2009 स्था दिनांक 17.6.2010 में निर्धारित किए गए अनुसार शासित होंगी।

3 प्रतिनियुक्ति की अवधि शुरू में तीन साल के लिए होगी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार इसे पांच साल तक और बढ़ाया जा सकता है। केंन्द्र सरकार के उसी या अन्य कार्यालय/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक धारित एक अन्य पूर्व–संवर्ग के पद प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर उप वन महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव के पद के लिए चार (04) वर्ष से अधिक नही होगी और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए (03) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

4 उन अधिकारियों के आवेदन जो पात्र और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने के इच्छुक है और जिन्हें चयन के तुरंत बाद कार्यमुक्त किया जा सकता है, उन्हें पिछले पांच (05) वर्षो के लिए उनके एसीआर/एपीएआर की प्रतियों और सतर्कता मंजूरी के साथ उचित माध्यम द्वारा उप वन महानिरीक्षक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय को अग्रेषित किया जा सकता है।

5 प्रतिनियुक्ति पद के लिए निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन पत्र की रिक्ति के प्रकाशन की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के पूरा होने पर या उससे पहले इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। मूल कार्यालय/विभाग की सिफारिश के बिना प्राप्त आवेदन या अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या एसीआर/एपीआर/डोजियर/सतर्कता मंजूरी के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा।

(डा० आर०बी० लाल)
वैज्ञानिक–एफ/कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त महानिदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003।
2. अवर सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रथम तल, अग्नि विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110 003
3. वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रथम तल, अग्नि विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली– 110 003 को इस अनुरोध के साथ कि क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) के प्रधान निजी सचिव एवं कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।
4. पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।

(डा0 आर0बी0 लाल)
वैज्ञानिक–एफ / कार्यालय प्रमुख

अनुलग्नक I

क्र0 स0	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन स्तर	पदों की संख्या
1.	उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) के प्रधान निजी सचिव	67700–208700	11	1
2.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	35400–112400	6	1

अनुलग्नक II

क्र0 स0	पद कानाम	वर्गीकरण	वेतन बैंड	पत्रता की शर्ते
1.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक न निजी सचिव	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह – ए, राज पत्रित, अनुसचिवीय	लेवल–11 (67700–208700)	भर्ती नियमों के अनुसार (अनुबंध IV के रूप मे संलग्नंक)
2.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह –बी, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल–6 (35400–112400)	भर्ती नियमों के अनुसार (अनुबंध VI के रूप में संलग्नंक)

(डा0 आर0बी0 लाल)
वैज्ञानिक–एफ / कार्यालय प्रमुख

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2018, शनिवार/ अग्रहायण 11—अग्रहायण 17, 1940

No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 11—AGRAHAYANA 17, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 नवम्बर , 2018

सा. का. नि. 376—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर (लीडिंग फायरमैन, चालक आपरेटर और फायरमैन) भर्ती नियम, 1977 को जहां तक उनका संबंध चालक ऑपरेटर और फायरमैन, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, अग्नि और बचाव ऑपरेटर (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2017 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अग्नि और बचाव ऑपरेटर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर अग्नि और बचाव ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 390.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान निजी सचिव, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.** — भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.** — वह व्यक्ति, —

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वे उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय—समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान निजी सचिव	10* (2018) * प्रादेशिक कार्यालयों में अवस्थित कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है :— बैंगलौर—01; भुवनेश्वर—01; भोपाल —01; चंडीगढ़—01; चेन्नई —01; देहरादून —01; लखनऊ—01; नागपुर —01; रांची —01; शिलांग—01.	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—11, रु.67,700—2,08,700/—.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** —सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सम्मिश्र पद्धति द्वारा: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित है तो उसका संघटन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
सम्मिश्र पद्धति: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा पब्लिक सेक्टरों अथवा अर्ध–सरकारी अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के अंतर्गत अधिकारी: (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग या समकक्ष में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–8, रु 47600–151100/–, में छः वर्ष नियमित सेवा की हो, अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग या समकक्ष में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7, रु 44900–142400/–, में सात वर्ष नियमित सेवा की हो, अथवा **टिप्पण–1.** – संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7, रु. 44900–142400/–, में विभागीय निजी सचिव का पद धारण करने वाले के साथ बाहरी लोगों हेतु विचार किया जाएगा, और यदि पद के लिए उसका चयन होता है, वह प्रोन्नति द्वारा नियुक्त माना जाएगा। **टिप्पण–2.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा।	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)** में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली – अध्यक्ष; 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केंद्रीय) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय – सदस्य; 3. निदेशक या उपसचिव, क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली – सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण–3. — प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है) की अवधि, केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है) की अवधि सहित साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण–4.** प्रतिनियुक्त (जिसके अन्तर्गत अल्प–कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 6–12/2014–आरओएचक्यू]
राजीव जौहरी, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 30th November, 2018

G.S.R. 390.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely: -

1. **Short-title and commencement.** - (1) These rules may be called the Regional Offices of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Principal Private Secretary, Group 'A' post Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to any of the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backwards Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Principal Private Secretary.	10* (2018) *Subject to variation dependent on workload in Regional Offices located at- *Bangalore-01; *Bhubaneswar-01; *Bhopal-01; *Chandigarh-01; *Chennai-01; *Dehradun-01; *Lucknow-01; *Nagpur-01; *Ranchi-01; *Shillong-01.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11, Rs. 67,700-2,08,700/-.	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotes	By composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion]: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations, - (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** 1. Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi-Chairman; 2. Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central) of concerned Regional Office-Member;	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

Department; or (ii) with six years regular service in level-8, Rs. 47600-151100/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with seven years regular service in level-7, Rs. 44900-142400/- in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department. **Note 1.** - The Departmental Private Secretary in level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900/- 1,42,400/-) in the concerned Regional Office with seven years regular service shall be considered along-with outsiders and if the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.** - The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3.** - Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 4.** - The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	3. Director or Deputy Secretary, Regional Office (Head Quarters), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi - Member.	

[F. No. 6-12/2014-ROHQ]

RAJEEV JAUHARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.21 14:49:25 +05'30'

Junior Translator

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003 – 05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जुलाई 3—जुलाई 9, 2016, शनिवार/आषाढ़ 12—आषाढ़ 18, 1938
No. 25] NEW DELHI, JULY 3—JULY 9, 2016, SATURDAY/ ASADHA 12— ASADHA 18, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 जून, 2016

सा.का.नि. 118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में स्टॉफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) स्टॉफ कार चालक (विशेष श्रेणी) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

			methods			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Matriculation pass from a recognised Board or equivalent.	Not applicable	Two years.	Direct recruitment	Not applicable.	**Group "C" Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :-** 1. Regional Director (Storage and Research) – Chairman 2. Assistant Regional Director (Storage and Research) – Member 3.An officer from other Central Government Office – Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2014-SRA]

M. S. AZAD, Dy. Secy.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1992, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद से है, का उन बातों के सिवाए अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के मामले में शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

[illegible]	पद की संख्या	[illegible]	वेतन मैट्रिक्स और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	अर्हकारी सेवा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कनिष्ठ अनुवादक	10* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर –01, भोपाल–01, भुवनेश्वर –01, चण्डीगढ़–01, चैन्नई –01, देहरादून –01, लखनऊ –01, नागपुर –01, रांची –01, शिलॉंग –01	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, गैर–अनुसचिवीय।	वेतन बैंड–2, 9300–34800/– रू. और ग्रेड वेतन 4200/– रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों में कार्यरत ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, अथवा (ii) वेतन बैंड–2, 5200–20200/– रू. में 2800/– रू. के ग्रेड वेतन में या समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग या विभाग में छह वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, अथवा (iii) वेतन बैंड–2, 5200–20200/– रू. में 2400/– रू. के ग्रेड वेतन में या समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग या विभाग में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो: आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

	में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री, अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसके साथ डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी हों अथवा इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो; और हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, में हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण – 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण – 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 6–21/2010–आरओ(ए क्यू)]

समित दत्तागुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 5th July, 2016

G.S.R. 124.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Offices, Ministry of Environment and Forests, (Group 'C' and Group 'D' posts)-Recruitment-Rules, 1992, in so far as they relate to post of Junior Hindi Translator except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of post of Junior Translator in the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Regional Offices, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Junior Translator) Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (12) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backwards Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection on post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Junior Translator	10* (2016) *Subject to variation dependent on workload. Regional offices located at: Bangalore -01, Bhopal -01, Bhubaneswar-01, Chandigarh-01, Chennai-01,	General Central Service, Group 'B' non-gazetted, non-Ministerial.	Pay band -2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200/-.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Name of post	Number of post.	Classification	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection on post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Dehradun-01. Lucknow-01. Nagpur-01. Ranchi - 01. Shillong – 01.							

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation including short-term contract.	**Deputation (Including Short-Term Contract) :** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector undertakings or Semi-Government or statutory or autonomous organisations:- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) With ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualification and experience : **Essential :** Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject of as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory of elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level: And Recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India undertaking. **Note-1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications). **Note-2:** For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay or pay scales is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 6-21/2010-RO(HQ)]

SAMIT DATTAGUPTA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.